

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरतारा
जिला-बेमेलतारा (छठगढ़)

E-mail ID- govtcollegeboratara@gmail.com

Website- www.govtcollegeboratara.in

क्र. / 68 / स्था. / अति.व्या. / 2026

बोरतारा दिनांक 27-08-26

—: अतिथि व्याख्याता/सहायक शिक्षण विषय-वाणिज्य हेतु विज्ञापन —

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्र. / ESTB-2025 / 637/2026-RAJPRATITSTHAPNA नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18.08.26 एवं छठगढ़ उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. 0 / ESTB-1027 / 1216/2025/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18.08.26 के अनुसार शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरतारा जिला - बेमेलतारा में अतिथि व्याख्याता/अतिथि सहायक शिक्षण विषय-वाणिज्य हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 02.09.2026 तक सायं 4 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्त (कार्यालय से प्राप्त करने) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता:-

1. अतिथि व्याख्याता/ अतिथि सहायक शिक्षण को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता महाविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्चतर शिक्षा के मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि व्याख्याता/सहायक शिक्षक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा- अतिथि व्याख्याता/सहायक शिक्षक अधिकतम 62 वर्ष तक होगी।


प्रचार्य
मुख्य प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरतारा
जिला-बेमेलतारा (छठगढ़)

4. छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता (Guest Lecturer) भर्ती नियमों के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी (Category) के दो अभ्यर्थियों के अंक समान (Tie) होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।

विषय/पदों का विवरण :-

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह-प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीड़ाधिकारी
1.	वाणिज्य		वाणिज्य	01	-	-
2.						

टीप: - संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें :-

- आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं. स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी-एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- दिनांक 02/09/26 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
- अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
- प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 05/09/26 को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाइट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
- गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 08/09/26 तक होगी।

अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी)-2024 (यथा सशोधित 2026)

15.08.22
21.8.22
प्रमुख अधिकारी
मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग
वि.सं.-छत्तीसगढ़-संयोजक (न.)

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 09.09.21 को दिया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय /अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
08. आवेदन उपरान्त संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. मानदेय:-

अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय निम्नानुसार होना प्रस्तावित है :-

- अतिथि व्याख्याता मानदेय – 2000/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/–)
- अतिथि ग्रंथपाल / क्रीडा अधिकारी – 1600/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 40,000/–)
- अतिथि शिक्षण सहायक – 1400/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35,000/–)
- अतिथि ग्रंथपाल सहायक/ अतिथि क्रीडा सहायक – 1200/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 30,000/–)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता विश्वविद्यालय/प्राचार्य शा. नवीन मरा.
बो/१५२१ एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।

27.8.26

अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी)-2024 (यथा संशोधित 2026)

18 of 22

13. संस्थान के इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।


27.8.26
संस्था प्रमुख
विश्वविद्यालय, ~~महाविद्यालय कोस्ता~~ 27. नवीन 2021.
वि. सं. ~~साजा, डि. मेहेर (प.न.)~~ बोस्टर
जिला- ~~मेहेर~~